भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1754

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल नीति

1754. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री हेमन्त पाटिल:

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस :

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जलनीति, 2012 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या जल संबंधी विभिन्न मुद्दों के समाधन के लिए विद्यमान जल नीति अपर्याप्त पाई गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की राष्ट्रीय जल नीति को अद्यतन करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जल आपूर्ति की स्थिति से निपटने के लिए जल संरक्षण और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए कोई बैठक आयोजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से जल संरक्षण/संचयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन करने का भी अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नई व्यापक राष्ट्रीय जल नीति के कब तक घोषित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (च) राष्ट्रीय जल नीति 2012 की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-I में दी गई हैं। जल क्षेत्र में कई चुनौतियां महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आई हैं। जिनके समाधान के लिए राष्ट्रीय जल नीति में समुचित संशोधन करने की आवश्यकता है। जल क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 में संशोधन करने का विचार बनाया है और 05 नवम्बर, 2019 को एक प्रारूप समिति बनाई गई है,

जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करना है। राष्ट्रीय जल नीति के संशोधन के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

11 जून, 2019 को नई दिल्ली में राज्यों के जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक की गई थी, जिसका उद्देश्य जल की आपूर्ति की स्थिति से निपटने, अन्य कार्यक्रमों के साथ जल संचयन एवं संरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जल संरक्षण और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के विषय में किए गए उपायों की समीक्षा करना है। राज्य सरकारों से व्यापक पैमाने पर वर्षा जल संचय हेतु जल संरक्षण उपाय पूरे करने का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान (जेएससे) नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया , जो देश के 256 जल संकट वाले जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I, 01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक देश भर में कार्यान्वित किया गया था और चरण-II, 01 अक्टूबर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक दक्षिणी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां लौटता मानसून आता है। अभियान के दौरान भारत सरकार के अधिकारियों, भूमि जल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इन जिलों में राज्य और जिलों के अधिकारियों के साथ काम किया है, ताकि जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढावा मिले और इसके तहत पांच लक्षित कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ये पांच कार्य हैं-जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, पम्परागत एवं अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीकरण, बोरवैलों का पुन: प्रयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास एवं सघन वृक्षारो इस अभियान से व्यापक रूप से जागरूकता पैदा की गई है और विभिन्न स्टेक होल्डरों अर्थात् सरकारी विभागों, अभिकरणों, गैर-सरकारी संगठनों, अधिकारियों, पंचायतों, व्यक्तियों ने जल संरक्षण के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं

******

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय जल नीति" विषय पर दिनांक 28.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय जल नीति (2012) की मुख्य विशेषताएं

- एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- जल को सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने, खाद्य सुरक्षा अर्जित करने, कृषि पर निर्भर निर्धन लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायता करने तथा न्यूनतम पारिस्थितिकी आवश्यकताओं हेतु उच्च प्राथमिकता से आवंटन करने के पश्चात आर्थिक वस्तु माना गया है ताकि इसके संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- नदी प्रवाहों के एक भाग को यह सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए कि अनुपातिक न्यून अथवा उच्च प्रवाह उस समय प्राकृतिक प्रवाह स्तर के संगत होना चाहिए।
- जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्यनीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है।
- जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जल के विभिन्न प्रयोजनों हेतु बैंचमार्कों अर्थात जल फुटप्रिंट तथा जल लेखापरीक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। परियोजना वित्तपोषण को जल के कुशल और किफायती उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में सुझाया गया है।
- जल विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की सिफारिश की गई है। जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है।
- जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्र करने तथा इसका एक भाग अपने पास रखने, उन्हें आबंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने तथा उनके अधिकार क्षेत्र में रखरखाव करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।
- जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का सामुदायिक सहभागिता से प्रबंधन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों अथवा स्थानीय शासी निकायों के निर्णयानुसार सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल के अनुसार निजी क्षेत्र को सेवा प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें असफलता होने पर दंड दिया जाना शामिल हो।
- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भूमि समतलन और/अथवा ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सुसंगत कृषिगत कार्यनीतियां तथा फसल पद्धतियां और बेहतर जल अनुप्रयोग विधियां अपनाई जानी चाहिए। औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक जल कुशल बनाया जाना चाहिए।
- अतिदोहित क्षेत्रों में गिरते भूजल पर जल उपयोग की बेहतर तकनीकें प्रारंभ करके जल के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहन देकर और जलभृतों के समुदाय आधारित प्रबंधन को बढावा देकर नियंत्रण किया जाना चाहिएं। इसके अलावा, जहां आवश्यक हो कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिएं।
- बेसिन/उप-बेसिन स्तर पर जल के कुशल उपयोग को बढावा देने, विनियमन और तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्थानिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
- बेसिन/उपबेसिन को एक इकाई मानकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए।

*****